


प्राथमिक दस्तावेज

क्र. 222/17
पत्रावली आस्थापना निवेदन

21-11-22

पत्रावली पेश हुई। अकुलाव करिकेन उचरिधत/
पत्र अधिकारी को/अन्य जग में बाल/
वेस्टिब में है। पत्रावली पर आदेशानुसार
दिनांक 19-1-23 को 

19-1-23

पत्रावली पेश हुई। उक्त भूमि पर
बाबत प्रार्थना पत्र के अस्थायी निषेधाज्ञा
के साथ प्रस्तुत मूल वाद खारिज होकर
प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। अतः
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे
चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।
प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
वाद तस्मील दाखिल दफ्तर है।



19/01/23

दिलीप सिंह

सहायक कलेक्टर (आरटि डी)
श्रीमाधोपुर (सिकर)

